

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम, 2017

[5] संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 9 / 2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30.06.2017

केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, *2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (लक्षद्वीप) नियम, 2017 है।
 - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।
-

* राजपत्र में "1917" छपा है।